



पत्रांक: 2483 / वि०न०वि०म०-प्रथम/गा०बाद

दिनांक 23-12-2023

विषय:-विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली।

विज्ञापन व्यवस्थापक -
विराट वैभव, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में आपके यह उपलब्ध छोटे से छोटे टाइप और कम से कम स्थान में दो कॉलम साइज में दिनांक 24.12.2023 तक को प्रकाशनार्थ संलग्न विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। हैडिंग व नीचे के नाम व पते में भी बड़ा टाइप न लगायें तथा नाम व पता एक ही लाइन में छापें। विज्ञापन में शीर्ष पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० का मोनोग्राम एवं सबसे नीचे इस आदेश की संख्या व दिनांक भी छोटे से छोटे टाइप में अवश्य प्रकाशित करें। इस निर्देशों के विपरीत छपे विज्ञापनों के बीजकों में आवश्यक कटौती करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० बाध्य होगा।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचना जैसे-बिजली बंद रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा ई-निविदा सूचनाओं का प्रकाशन ई-निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क की बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्त रसीद टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन भुगतान सम्भव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी विज्ञापन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में 8-10 प्वाइंट टाइप में एक ही कॉलम में किया जाये। अंग्रेजी भाषा सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में अनुवाद के पश्चात ही करें जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. टेन्डर/सूचना इत्यादि यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र० तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन देय स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें।

विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" का नारा तथा विद्युत चोरी का हेलप लाइन नम्बर अवश्य दें।
संलग्नक:-विज्ञापन सामग्री

भवदीय

Sup. (महफूज आलम)
Electricity Urban Distribution Division
Ghaziabad
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक : 2483 / वि०न०वि०मण्डल-प्रथम/गा०बाद

दिनांक:- 23-12-2023

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाइट पर डलवाने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता(वि०), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ। (ई-मेल:-propvnlmrt@gmail.com)
4. सम्बन्धित निविदा पत्रावली।

Sup. (महफूज आलम)
Electricity Urban Distribution Division
Ghaziabad
अधीक्षण अभियन्ता



पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या:- 47/2023-24/EUDC-1/GZB

धरोहर राशि :-रु०-10000.00

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-पंचम, गा०बाद के कार्यक्षेत्र में जमा योजना में स्वीकृत प्रकल्पों के अनुसार 11 के०वी० एवं एल०टी० लाईन पर अवमुक्त किये जाने वाले विभिन्न संयोजन, भार बढ़वाने (क्षमतावृद्धि), विद्युतीकरण एवं पोल शिफ्टिंग इत्यादि सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 09.01.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती है एवं 09.01.2024 को 16:00 बजे व उसके पश्चात खोली जायेगी।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। निविदा की अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचना, तिथि, धरोहर राशि, संशोधन/विस्तार तिथि आदि को <https://etender.up.nic.in> एवं निगम की वेबसाइट www.pvvnl.org पर देखा जा सकता है।

Superintending Engineer
Electricity अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद

“राष्ट्रहित में बिजली बचाये”

टिप्पणी एवं आदेश

मुख्य अभियन्ता (वि०), गा०बाद क्षेत्र गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया सादर संज्ञान में लाना है कि विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद के अधीन विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-पंचम, गा०बाद के कार्यक्षेत्र में जमा योजना में स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार 11 के०वी० एवं एल०टी० लाईन पर अवमुक्त किये जाने वाले विभिन्न संयोजन, भार बढ़वाने (क्षमतावृद्धि), विद्युतीकरण एवं पोल शिफ्टिंग इत्यादि सम्बन्धित समस्त कार्य बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति निगम मुख्यालय, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं० 3131 दि० 21.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रदान की गयी। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य ई-निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु अल्पकालीन ई-निविदा प्रकाशन की अनुमति प्रदान करना चाहें। उपरोक्त कार्य कराये जाने में अनुमानित लागत रू० 10.00 लाख (जी०एस०टी० सहित) आने की सम्भावना है।

अल्पकालीन ई-निविदा
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

CHIEF ENGINEER (D)
GHAZIABAD ZONE
GHAZIABAD

(महफज आलम)
Superintending Engineer
अधीक्षक अभियन्ता
Electricity Urban Distribution Circle-1
वि०न०वि०म०-प्रथम गा०बाद



कार्यालय
प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक- प०वि०वि०नि०लि०/तक०/प्र.अनु-5(नो)/(20)

दिनांक : २१/१२/२०२३

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद के पत्रांक 436/मु०अ०गा०क्ष०/गा०बा०/सी०/अनु० दिनांक 22.11.2023 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद के अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-पंचम, गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र में स्वीकृत प्रांकलनों के अनुसार 11 केवी एवं एल०टी० लाईन पर प्रकलन किये जाने वाले विभिन्न संयोजन, भार बढ़वाने (क्षमतावृद्धि), विद्युतीकरण शिफ्टिंग इत्यादि सम्बन्धित समस्त कार्य सही ढंग से निविदा द्वारा जमा योजना के अन्तर्गत बाह्य एजेंसी के माध्यम से कराने हेतु धनराशि रु० २००० लख (2000 लाख) सहित की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति निदेशक (तकनीकी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ द्वारा निम्नानुसार उक्त निर्दिष्ट शर्तों पर प्रदान की गयी है :-

1. उक्त कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान पूर्ण जमा योजना मद में उपरोक्ता द्वारा जमा करायी गयी धनराशि से किया जाएगा। पूर्ण धनराशि जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का होगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु व्यय की जाने वाली अधिकतम धनराशि (जीएसटी सहित) प्राक्कलन में प्राक्कानित स्थानीय अंश से अधिक न हो।
3. उक्त कार्य ई-निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।
4. कार्योत्तर प्रांकलन सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
5. 11 केवी० अथवा 33 केवी लाईन शिफ्टिंग का कार्य में तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति सदम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा।
6. उ०प्र० पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या 10-कार्य/चौदह-पा०का०लि०/2019-3-के/2000 दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रदान प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य कराया जायेगा।
7. इस सम्बन्ध में निगम द्वारा समय-समय पर निर्मित प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
8. इस कार्य का रेषा द्वारा निजीला विशिष्टीकरण, मानकी एवं दरों के अनुरूप ही कराया जायेगा तथा कार्य का विश्लेषण कार्य कम से कम लागत में कराया जायेगा।
9. इस की अधिकतम सक्षम कार्य समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
10. उक्त कार्य एवं दरों की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियन्ता (वि०) की होगी।
11. कार्य कराये जाने पूर्व प्राक्कलन की वांछित सम्पूर्ण धनराशि (जी०एस०टी० सहित) जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का होगा।
12. सम्बन्धित अवर अभियन्ता के द्वारा उपरोक्त कार्य का कार्योत्तर प्राक्कलन बनाया जाएगा एवं तदनुसार मासिक लेखा में उपरोक्त प्रविष्टियां अंकित की जाएगी। इस प्रकार जमा योजना के कार्य में लगाई गई समस्त निगम के assets में प्रतिबलित की जायेगी।
13. उ०प्र० पावर कारपोरेशन के पत्रांक 4512 चौदह/पा०का०लि०/2017-2000-टी-सी०-2017 दिनांक 27.11.2017 के अनुसार डिपोजिट के कार्यों के प्राक्कलन की स्वीकृति से पूर्व उसकी तकनीकी रूप से रासभव होने की स्वीकृति अगले उक्त अधिकांसी से प्राप्त करना अनिवार्य है।
14. निस्तुत प्रदाय सहिता 2005 में निहित प्राविधानों एवं उ०प्र०पा०का०लि० लखनऊ के दिशा निर्देशों तथा समय-समय पर उनके सशोधन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्राक्कलन उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के दिशा निर्देश संख्या 15/उ०म०प्र० (टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2019 दिनांक 09.04.2019 के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
16. उक्त निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के आदेश सं० 1033-कार्य/चौदह-पा०का०लि०/2020-138-के/2019 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

(मनोज कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (तक०)

पत्रांक : 3131 / प०वि०वि०नि०लि०/तक०/प्र.अनु-5(नो)/(20) तददिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद।

(मनोज कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (तक०)

सीसी:- निदेशक (तक०) गृहोदय, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।